न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 48/2011

1. श्रीमती चन्दू पत्नी हरदेव जाति जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

– वादीयां

बनाम

1. श्री सूरजकरण पुत्र लादू जाति जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़

– प्रतिवादीगण

वकील 1. श्री निहालचंद जैन, वादीयां।
2. श्री महेन्द्र सिंह, प्रतिवादी सं. 1

निर्णय अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 20.12.2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आराजीयात वाकै ग्राम कल्याणपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में स्थित है जो निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकवा	किस्म
	176	01–05–00	वा.3
	184	01–06–00	वा.3
	185	03–14–00	चा.2
	186	05–05–00	चा.2
	187	04–12–00	चा.2
	838	01–07–00	वा.3
	867	05–11–00	वा.3
	917	00–16–00	ता.3
	918	02–03–10	ता.2
	919	02–10–10	ता.2
	920	01–06–00	बीड़
	921	05–05–00	बीड़
	922	03–00–10	बीड़
	923	09–12–00	बीड़
	1248	01–17–10	ता.1

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

वादीयां
घोषित
वादी

यह कि उपरोक्त भूमि वादीयां के पति हरदेव पुत्र सुखा जाति जाट निवासी कल्याणपुरा के खातेदारी में दर्ज थी जो उनकी पैतृक थी। जो उनके कब्जेकाश्त उपयोग–उपभोग में चली आ रही थी। वादीयां के कोई जायन्दा सन्तान नहीं है अतः उसके पति की मृत्यु के पश्चात उनकी तमाम चल अचल सम्पति पर काबिज है एवं वाद पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजी वादीयां ने पति की मृत्यु पश्चात से तक वादीयां के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग में निरन्तर निर्बाध रूप से चली आ रही है। अतः स्वर्गीय हरदेव की एक मात्र वारिस वादीयां ही होने से यह वाद वर्णित आराजी की खातेदार काश्तकार हो चुकी है एवं घोषित होने के अधिकारी है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 का वादीयां एवं उसके पति से कोई वास्ता व सरोकार नहीं था। प्रतिवादी सं. 1 ने वादीयां के पति की सम्पति हड़प करने की नियत से वादीयां के पति की ओर से एक कूटरचित वसीयतनामा अपने नाम छल–कपट व धोखा करते हुये निष्पादित करवा लिया जिसकी जानकारी वादीयां को हाल ही में दिनांक 01.04.2011 को सर्वप्रथम जब हुई जब वादीयां अपने पति के वाद वर्णित खेतों पर काश्तशुदा फसल को कटवा रही थी तब प्रतिवादी सं. 1 ने धमकी दी की तेरे पति की तमाम चल अचल सम्पति का वसीयतनामा मेरे नाम हो चुका है अब आयन्दा खेतों पर मत आना। तब वादीयां ने जानकारी की तो उक्त वसीयत की जानकारी हुई एवं उक्त कथित वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम जमीन इन्द्राज की जानकारी हुई तब वादीयां ने प्रतिवादी को इस बाबत उलाहना दिया। यह कि कथित वसीयत में वादीयां के पति की ओर से स्वअर्जित तमाम चल अचल सम्पति का वसीयतनामा करवाया है जो दिनांक 16.05.1998 को पंजीबद्ध है। कथित वसीयत प्रथम तो कूटरचित, फर्जी है एवं कथित वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 ने तत्कालीन पटवारी हल्का, गिरदावर व अन्य राजस्व अधिकारियों से अनुचित सांठ–गांठ कर वादीयां के पति की खातेदारी की वाद वर्णित पैतृक कृषि भूमि स्थित ग्राम कल्याणपुरा को अपने नाम राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसका की पटवारी हल्का व राजस्व अधिकारियों को कोई हक अधिकार नहीं है। क्यों कि कथित वसीयत में तो स्वअर्जित चल अचल सम्पति ही वसीयत की जाना कथित है जबकि वाद वर्णित भूमि तो वादीयां के पति के पैतृक है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के नाम वाद वर्णित भूमि दर्ज हुई है वह कतई गलत है इसकी दुरूस्ती हेतु वादीयां ने प्रतिवादी सं. 2 को 04.04.2011 को निवेदन किया एवं उपरोक्त भूमि वादीयां के नाम दर्ज करने की कहा तो उन्होनें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जिससे वाद पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम नाजायज इन्द्राज के नाम पर वाद वर्णित भूमि से जबरन बल के प्रयोग से वादीयां को बेदखल कर अपना कब्जा, आधिपत्य करने में सफल हो जाता है तो वादीयां को अपूर्तियुक्त क्षति होगी व बहुवाद की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया। यह कि उपरोक्त कारणों से तथाकथित वसीयत दिनांक 16.05.98 व उसके आधार पर राजस्व अभिलेख में वाद वर्णित भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज की गई है वह कतई गलत है वादीयां के हक पर नाजायज व बेअसर होने से अपास्त किये जाने योग्य है, वादीयां इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्रतिवादी के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी है एवं

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादीयां वाद वर्णित भूमि की अपने पति हरदेव की मृत्यु के पश्चात खातेदार हो चुकी है एवं घोषित होने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निम्न साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए:–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा संवत् 2067–2070
- छाया प्रतिलिपी मृत्यु प्रमाण पत्र हरदेव
- छाया प्रतिलिपी वसीयत पत्र हरदेव
- प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस ग्राम कल्याणपुरा
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा 2052–2055, 2055–2056, 2018–2021, 2056–2058, 2052

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जरिए अधिवक्ता महेन्द्र सिंह, प्रस्तुत किया गया। जवाब सरकार जरिए तहसीलदार सरवाड़ प्रस्तुत किया गया कि खातेदार हरदेव पुत्र सुवा जाति जाट द्वारा अपने जीवन काल में दिनांक 16.05.1998 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत सूरजकरण पुत्र लादू जाट को कर दिये जाने से उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त वसीयत के आधार पर नामा. 371 दिनांक 30.09.1998 को सूरजकरण पुत्र लादू जाट के नाम दर्ज हो गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार निर्वासित फौत होने पर ही हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम लागू होता है। वसीयत नामा रजिस्टर्ड दिनांक 16.05.1998 को होना स्वीकार जिसके आधार पर वसीयतकर्ता फौत हो जाने पर विधिवत रूप से नामा. सं. 371 दिनांक 30. 09.1998 को दर्ज और निस्तारण होने से इन्द्राज स्वीकार है शेष अस्वीकार है क्यों कि अभी तक वसीयत के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है। जिससे मृत्युपरांत वसीयत प्रभावी है। वादिनी द्वारा उक्त नामान्तरण तथा रजिस्टर्ड वसीयत के संबंध में किसी प्रकार की अपील नहीं करने एवं उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार वारिसों के नाम अंकित होना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

जवाब सरकार द्वारा निम्न साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए:–

- प्रमाणित जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा संवत् 2067–2070
- प्रतिलिपी मृत्यु प्रमाण पत्र हरदेव पुत्र सुवा जाट।
- प्रतिलिपी वसीयत पत्र हरदेव वल्द सुवा जाट दिनांक 16.05.1998
- प्रमाणित नक्शा ट्रेस ग्राम कल्याणपुरा।
- प्रतिलिपी नामान्तरकरण ग्राम कल्याणपुरा।

प्रतिवादी सं. 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि वादपत्र का पेरा नं. 2 कतई गलत है अस्वीकार है। वादीनी वादिनी हरदेव की पत्नी नहीं है ना ही कभी वादीनी से हरदेव से शादी की थी। हरदेव ने केरियाग्राम में शादी के बाद हरदेव की पत्नी का देहान्त हो जाने से हरदेव ने गलकू से नाता विवाह किया था जो आज भी मौजूद है। वादग्रस्त आराजीयात हरदेव की स्वअर्जित आराजीयात है। जो हरदेव ने स्वंय बनाई है। हरदेव के ओलाद नहीं होने से प्रतिवादी ने हरदेव की सेवाचाकरी की थी। इससे खुश होकर हरदेव ने उक्त आराजीयात एवं समस्त सम्पति की वसीयत प्रतिवादी के नाम कर दी गयी तथा हरदेव के जीवनकाल में ही उक्त आराजीयात को प्रतिवादी ही काश्त करता चला आ रहा था। हरदेव की मृत्यु के पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम अंकन हो चुका है। आज भी उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीनी का वादग्रस्त आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। यह कि वाद पत्र का पेरा नं. 3 अस्वीकार है। वादीनी उक्त वसीयत नामा को केंसिल कराने के लिए एक सिविल वाद नन्दू बनाम सूरजकरण श्रीमान् मुन्सिफ साहब सरवाड़ कोर्ट में पेश किया गया जो दावा खारिज हो चुका है। कभी भी वादीनी कल्याणपुरा में नहीं रही है। वादीनी पिछले 30 साल से ग्राम में किसी के साथ बतौर पत्नी बन कर रह रही है। हरदेव की पत्नी शादीशुदा का नाम नन्दू होने से उसका नाजायज फायदा उठाकर जमीन हडपना चाहती है। जबकि वादीनी का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। अनाधिकृत रूप से मिथ्या कथन के आधार पर अपने को हरदेव की पत्नी बताकर जमीन हडपना चाहती है। जिसका उसको अधिकार नहीं है। वाद लोक सस्टडाई नहीं होने से खारिज योग्य है। इस पर वाद पत्र में तनकीयात निम्न प्रकार की गई:–

तनकी नं 1:– आया कि ग्राम कल्याणपुरा की जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. नया–पुराना 331–307 किता 15 रकबा 49–11–10 की वादीयां खातेदार होने का हक रखती है।

तनकी नं. 2:– आया कि विवादित आराजी वादीयां के पति की खातेदारी की थी तथा पैतृक होने से वसीयतनामा 16.05.1998 के आधार पर प्रतिवादी के नाम दर्ज की गई वह गलत है, खारिज होने योग्य है।

तनकी नं. 3:– आया कि वादीयां, विवादग्रस्त आराजी स्वंय के नाम खातेदारी अंकित करवाने तथा खातेदार घोषित होने का हक रखती है तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है कि प्रतिवादी उसके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे व अन्य को बेचान करे।

तनकी नं. 4:– आया कि हरदेव के कोई औलाद नहीं थी, विवादित आराजी स्वंय की अर्जित है तथा जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 16.05.1998 से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हुई है।

तनकी नं. 5:– आया कि वादीयां मृतक हरदेव की पत्नी नहीं रही है। हरदेव की पत्नी का नाम भी नन्दू था, इसी का नाजायज फायदा उठाकर झूठा दावा किया है। हरदेव की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी तथा उसके बाद उसने गलकू नाम की औरत से नाता किया जो आज भी मौजूद है, वादीयां कभी कल्याणपुरा में नहीं रही है, अन्यत्र रहती है। झूठे कथनों पर दावा किया है अतः दावा काबिल खारिज हो।

साक्ष्य वादी में स्वंय वादिनी नन्दू पत्नी स्व. हरदेव द्वारा प्रस्तुत की व जिरह वादियां करवाई गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस करने का निवेदन किया। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विवाद्यकों का व दस्तावेजों पर विवेचन बिन्दुवार निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

विवाद्यक बिन्दु सं. 1

इस विवाद्यक बिन्दू को प्रभावित करने का भार वादीयां पर है इस विवाद्यक बिन्दु के संबंध में दौराने बहस वादिया अभिभाषक का तर्क रहा कि वादीयां स्वर्गीय हरदेव की पत्नी होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। उपलब्ध दस्तावेजों व बहस राजस्व रिकॉर्ड के

Scanned by CamScanner

अनुसार जमाबंदी 2067–2070 अनुसार विवादित आराजीयात को श्री सूरजकरण वल्द लादू के नाम खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार सरवाड़ ने अपने जवाव में जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.05.1998 के आधार पर हरदेव की मृत्यु होने से नामान्तकरण सं. 30.091998 से सूरजकरण पुत्र लादू के नाम दर्ज की गयी जो विधि संगत है। वादीयां द्वारा हरदेव की पत्नी होने की पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। अतः वादीयां खातेदार होने की अधिकार सिद्ध नहीं कर पाने से वादीयां के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं. 2

विवादित आराजीयात वर्किंग जमाबंदी अनुसार हरदेव वल्द सूखा जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसकी मृत्यु के उपरांत उनके वारिसान सूरजकरण पुत्र लादू के नाम वसीयत दिनांक 16.05.1998 के आधार पर दर्ज की गयी वह विधि अनुरूप है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में कथन किया है कि हरदेव पुत्र सुखा कौम जाट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.05.1998 को वसीयत की गयी थी। उसके आधार पर ही वसीयत कर्ता की मृत्यु उपरांत नामान्तकरण सं. 371 दिनांक 30.09.1998 से सूरजकरण पुत्र लादूराम के नाम दर्ज की गयी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार निर्वसीयत फौत होने पर ही हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम लागू होता है। अतः नामान्तकरण सं. 371 दिनांक 30.09.1998 विधि अनुरूप दर्ज किया गया जाने से किसी प्रकार की कमी नहीं है वादीयां सिद्ध कर पाने में असफल रही अतः यह बिन्दु वादीयां के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं. 3

इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादीयां को दिया गया। पक्षकारान् के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में हरदेव की पत्नी होने के कारण उनकी वारिसान होने से खातेदारी अधिकार रखने एवं कब्जे काश्त में प्रतिवादी द्वारा दखल नहीं करने बाबत निवेदन किया। प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी बहस में बताया कि वादीयां मृतक हरदेव की पत्नी है इसके कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। झूंठे एवं मनगढत तथ्य प्रस्तुत कर प्रतिवादी की भूमि हड़पना चाहती है। वादीयां द्वारा हरदेव की पत्नी है इसके कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। वादग्रस्त आराजी हरदेव पुत्र सुखा कौम जाट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.05.1998 को वसीयत की गयी थी। उसके आधार पर ही वसीयत कर्ता की मृत्यु उपरांत नामान्तकरण सं. 371 दिनांक 30.09.1998 से सूरजकरण पुत्र लादूराम के नाम दर्ज की गयी जो विधि अनुरूप है। वादीयां द्वारा अपने हक अधिकार के बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह बिन्दु वादीयां पक्ष में तय किया जा सके। अतः उक्त विवाद्यक वादीयां अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रही है।

विवाद्यक बिन्दु सं. 4

आया कि हरदेव के कोई औलाद नहीं थी, विवादित आराजी स्वंय की अर्जित है तथा जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 16.05.1998 से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हुई है। पक्षकारन के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादग्रस्त आराजीयात हरदेव पुत्र सुखा कौम जाट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.05.1998 को वसीयत की गयी थी। उसके आधार पर ही वसीयत कर्ता की मृत्यु उपरांत नामान्तकरण सं. 371 दिनांक 30.09.1998 से सूरजकरण पुत्र लादूराम के नाम दर्ज की गयी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार निर्वसीयत फौत होने पर ही हिन्दू

Scanned by CamScanner

उतराधिकारी अधिनियम लागू होता है। वादीयां द्वारा वसीयत निरस्त होने बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है उक्त विवाद्यक विरूद्ध वादीयां प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक बिन्दु सं. 5

आया कि वादीयां मृतक हरदेव की पत्नी नहीं रही है। हरदेव की पत्नी का नाम भी नन्दू था, इसी का नाजायज फायदा उठाकर झूठा दावा किया है। हरदेव की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी तथा उसके बाद उसने गलकू नाम की औरत से नाता किया जो आज भी मौजूद है, वादीयां कभी कल्याणपुरा में नहीं रही है, अन्यत्र रहती है। झूठे कथनों पर दावा किया है अतः दावा काबिल खारिज हो। अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया जवाब प्रतिवादी सं. 1 ने कथन किया है कि वसीयत कर्ता हरदेव के कोई औलाद नहीं होने से प्रतिवादी सं. 1 के नाम सेवा चाकरी से खुश होकर वसीयत की गयी है जो सही है तथा विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। वादीयां मृतक हरदेव की पत्नी नहीं है और ना ही उसका कोई वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा रहा है। वादीयां द्वारा उक्त विवाद्यक के संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह विवाद्यक वादीयां के पक्ष में सिद्ध किया जा सके।

अतः विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त वाद में विवाद्यक बिन्दु वादीयां अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रही है। अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.06 15:46:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: